पुलिस आदेश संख्या.....291...../08

बिहार पुलिस हस्तक खंड -III के परिशिष्ट -42 के अनुसार आशु संवर्ग के पदाधिकारियों को इस कोटि के मूल पद पर उनकी नियुक्ति के सामान्यतया पाँच वर्षो के पश्चात सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन का प्रावधान है ।

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 11211/2003 एवं 11667/2003 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि आशु अ0नि0/ आशु स0अ0नि0 का संवर्ग अवर निरीक्षक / सहायक अवर निरीक्षक के संवर्ग से पूर्णतया भिन्न है । पारित न्यायादेश में यह व्यवस्था दी गयी है कि सामान्यतया, पाँच वर्षो तक आशु संबंधी कार्य करने के पश्चात आशु अ0नि0 / आशु स0अ0नि0 को अ0नि0 / स0अ0नि0 के सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जायेंगे तथा प्रत्यावर्तन की तिथि से सामान्य पुलिस बल में उनकी वरीयता की गणना की जायेगी । साथ ही यदि प्रत्यावर्तन के बाद भी उनसे आशु संबंधी कार्य लिया जाता है तो उससे सामान्य संवर्ग में उनकी वरीयता प्रभावित नहीं होगी ।

तदनुसार पुलिस मुख्यालय का निर्गत ज्ञापांक 3537/पी-2, दिनांक 22/09/2003 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नरूपेण निर्णय लिये जाते हैः-

1- आशु अवर निरीक्षक / आशु सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग में वर्तमान में कार्यरत पदाधिकारियों को इस पद पर उनकी नियुक्ति के पाँच वर्षो बाद सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जायेगा । प्रत्यावर्तन के पश्चात जिलाबल का कार्य उनसे तभी लिया जायेगा जब वे पी0टी0सी0 परीक्षा उतीर्ण कर लेंगे ।

2- वर्तमान में कार्यरत ऐसे अ0नि0 / स0अ0नि0 जो पूर्व में आशु संवर्ग से सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भी आशु कार्य ही कर रहे हैं उन्हें सामान्य संवर्ग में ही माना जाएगा ।

3- आशु अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत वैसे पदाधिकारी जो प्रशिक्षण में जाने की योग्यता रखते है, उन्हें नियमानुसार सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जायेगा । ये पदाधिकारी प्रशिक्षण में जाने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आशु संबंधी कार्य करते रहेंगे ।

4- यह आदेश वैसे पदाधिकारियों पर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा जो आशु अवर निरीक्षक / आशु सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग से अभी तक प्रत्यावर्तित नहीं हुए हैं और सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन चाहते है।

5- वैसे आशु स0अ0नि0 जो नियुक्ति के पाँच वर्षो के बाद प्रत्यावर्तन के बदले आशु संवर्ग में ही बने रहना चाहते है, उन्हें इस आशय की लिखित स्वेच्छा देनी होगी ।

6- लिखित स्वेच्छा के आधार पर आशु संवर्ग में ही बने रहनेवाले आशु स0अ0नि0 को निर्धारित अवधि के पश्चात रिक्तियों के आधार पर आशु संवर्ग में ही आशु अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी ।

7- आशु संवर्ग में ही बने रहने की लिखित स्वेच्छा देने के पश्चात उसी संवर्ग के उनसे नीचे के पंक्ति के पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि के पश्चात सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन का लाभ मिलेगा ।

8- आशु संवर्ग में बने रहने की लिखित स्वेच्छा देनेवाले पदाधि आशु संवर्ग में ही बने रहेंगे एवं उन्हें पुनः सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन का अ देय नहीं होगा ।

9- लिखित स्वेच्छा के आधार पर सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन प्राप्त करनेवाले आशु स०अ०नि० को आशु संवर्ग में आशु अवर निरीक्षक में प्रं के पश्चात भी उन्हें सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन का लाभ देय नहीं होगा।

10- पुलिस हस्तक नियम के प्रावधान के अनुसार पुलिस महानि आशु संवर्ग के किसी पदाधिकारी से उसके प्रत्यावर्तन के पश्चात भी जब तक आशु संबंधी कार्य ले सकते है ।

11- आशु संवर्ग के पदाधिकारियों के संबंध में अन्य सभी नियम शर्ते पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी ।

(आशीष रंजन सिन्हा)
पुलिस महानिदेशक
बिहार, पटना ।

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 1406 /पी-2 दिनांक 31 मार्च,2008

16-1-7-2007

प्रतिलिपिः सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) / पुलिस अधीक्षक (सी), अप०अनु०वि० पुलिस अधीक्षक (बी),विशेष शाखा / पुलिस अधीक्षक, सहकारिता पुलिस कोषांग / पुलिस अधीक्षक, विद्युत पर्षद कोषांग / सभी समादेष्टा सैन्य पु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

2- सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल /सैन्य पुलिस सहित)/विशेष शाखा अपराध अनुसंधान विभाग / विद्युत पर्षद कोषांग / निगरानी को सूचना आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

3- सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / रेल / सैन्य पुलिस सहित / वितंतु / प्रशिक्षण / विशेष शाखा / आर्थिक अपराध कोषांग / विद्युत पर्षद कोष सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

4- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग / राज्य अपराध अभिले ब्यूरो / आधुनिकीकरण / निगरानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषि

5- महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रषित ।

6- पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कि प्रेषित ।

7- पुलिस उप-महानिरीक्षक, (कार्मिक) / मानवाधिकार / प्रशासन, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

पुलिस महानिदेश
बिहार, पटना
31/03/08